न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 112 / 2016 / अपील

बहादुरमल पुत्र स्व. श्री सेडूराम जाति माली निवासी मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14.12.2016 बाबत आराजी खसरा नम्बर 1045 तन मावण्डा खुर्द द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री मदनलाल शर्मा

निर्णय **दिनांकः—12.02.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम मावण्डा खुर्द से बेदखली का नोटिस प्रेषित किया। अपीलांट नियत तारीख पेशी 14.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर उसी दिन नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया। तत्पश्चात् तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2016 को पारित करते हुये अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.87 है0 तन ग्राम मावण्डा खुर्द मे से बेदखल करने, जब्तशुदा फसल को नीलाम कर फर्द निलामी तत्काल प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय मनमाने आधारों पर पारित किया है एवं निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि तथाकथित अतिक्रमण किस रूप में तथा कितने क्षेत्रफल पर है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिये गये नोटिस का जवाब तत्काल प्रथम तारीख पेशी पर प्रस्तुत करने के बावजूद भी उक्त जवाब का गौर फरमाये बिना उसी दिन अपीलाधीन निर्णय मनमानें आधारों पर पारित कर दिया गया। रिपोर्ट पटवारी में खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.87 है0 में चारदीवारी बनाकर कब्जा पुराना के रूप में अपीलांट का अतिक्रमण बताया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भू.अ.नि. को जब्तशुदा फसल को नीलाम कर, फर्द नीलामी तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई जांच नहीं की गई कि अतिक्रमण किस रूप में है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का अथवा अन्य राजस्व अधिकारी या कर्मचारी से कोई सरसरी जांच

Web Copy Not Official

पर विवादित भूमि आज तक कभी भी स्कूल के खेल मैदान के रूप में नहीं रही है तथा ना ही वंहा स्कूल ने इसे कभी खेल मैदान के रूप में काम में लिया है। सेटलमेंट विभाग की भूलवश उक्त भूमि को स्कूल का मैदान या राजस्थान शिक्षा विभाग के नाम से गलत अंकित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम मावण्डा खुर्द के खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.87 है0 किस्म गै.मु.स्कुल खेल मैदान पर दिवार बनाकर पक्का कब्जा पुराना कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है जबकि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1045 ग्राम मावण्डा खुर्द में से अतिक्रमित रकबा 0.87 है0 से अप्रार्थी बहादुरमल पुत्र सेडूराम जाति माली निवासी मावण्डा खुर्द को बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.74 रूपये का 50 गुणा यानि 87 रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। भू.अ.नि. जब्तशुदा फसल को निलाम कर फर्द निलामी तत्काल प्रस्तुत करे। इस प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय एक दूसरे से भिन्न है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में दीवार बनाकर पक्का कब्जा पुराना अंकित किया गया है जबकि तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में फसल नीलामी किया जाना अंकित किया गया हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय एक दूसरे से भिन्न होने के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः विधिसम्मत जांच कर एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official